



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

10 तेंदुए के अवैध शिकार एवं तस्करी प्रकरण में परिवाद दायर

प्रेस विज्ञप्ती (74/26 दिनांक 29.09.2026)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार अंतर्राज्यीय शिकार एवं तस्करी गिरोह के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (STSF) मध्यप्रदेश द्वारा निरंतर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 30 जुलाई 2026 को STSF भोपाल, STSF क्षेत्रीय इकाई शिवपुरी व वन्यप्राणी वनमंडल कूनों एवं वन मंडल श्योपुर की संयुक्त दल द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर 02 आरोपियों की निशान देही पर वन्यजीव तेन्दुए की 42 नग हड्डिया जप्त कर वन अपराध क्रमांक 237/25 दिनांक 30-07-2026 दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई।

इस प्रकरण में एक संगठित गिरोह के लिप्त होने के साक्ष्य मिले हैं। आज दिनांक तक कुल **10 आरोपियों जो कि तीन अलग-अलग राज्यों हरियाणा, मध्यप्रदेश एवं दिल्ली के निवासी** हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इनके पास से वन्यजीव तेन्दुए के अवयव भी भारी मात्रा में जप्त हुए हैं तथा तेन्दुए के शिकार हेतु उपयोग किये जाने वाले घातक फंदे 06 नग Leg Hold Trap एवं 01 नग चाकू भी जप्त किये गये हैं। दिनांक 28-09-2026 को माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवपुरी के समक्ष प्रकरण का परिवाद दायर किया जा चुका है।

दिनांक 21.09.2026 माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के द्वारा दिये आदेश के तारतम्य में वाइल्ड लाईफ एसओएस के सीईओ एवं सह-संस्थापक कार्तिक सत्यनारायण विवेचना में सहयोग हेतु शिवपुरी में उपस्थित हुये, प्रकरण के विभिन्न पहलुओं पर उनसे पूछताछ जारी है।

यह प्रकरण मध्यप्रदेश शासन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें लिप्त गिरोह द्वारा 10 तेन्दुओं का शिकार जिला श्योपुर व मुरैना में किया गया है जो **अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र चीता लैण्डस्केप** के अंतर्गत आता है।

अधिकृत अधिकारी
कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
मध्यप्रदेश, भोपाल